

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति : जनपद-देहरादून के विकासखण्ड-चकराता में केन्द्र पोषित एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत 33 केवी0 विद्युत लाइन निर्माण का कार्य।
- (i) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र : उत्तराखण्ड
- (ii) जिला : देहरादून
- (iii) जिला वन प्रभाग : वन प्रभाग, चकराता, देहरादून
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र : 7.2 हे0 3-60 20
3-60 4
7.20
2. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति : वन विभाग का स्वामित्व
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा : 0.1
- (i) वनस्पति का धनत्व : सूचना संलग्न टिप्पणी
- (ii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना : सूचना संलग्न टिप्पणी
- (iii) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा : सूचना संलग्न
4. भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा : सूचना संलग्न
5. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी : भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट अनुसार
6. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : वन भूमि के अन्तर्गत
7. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : लागू नहीं
8. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : लागू नहीं
- (i) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)
- (ii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है,

तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

- (iii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र : नहीं
आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेप के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- (iv) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या : नहीं
खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
9. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या : नहीं
प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
10. पूर्वक्षेप के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि : न्यूनतम भूमि की मांग की गई है।
के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता : हाँ।
अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र :
जिसके पूर्वक्षेप के लिए उपयोग किया जा सकता है।
11. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक : नहीं
सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित : लागू नहीं है।
वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है : नहीं
(हां/नहीं)
12. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : क्षतिपूरक वृक्षारोपण संलग्न है।
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन : संलग्न है।
भूमि की विधिक प्रास्थिति।
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या : संलग्न है। 71/6
क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान

किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें।

- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। *नहीं*
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्यौरे संलग्न हैं। (हां/नहीं)
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : संलग्न है।
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान कर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं। (हां/नहीं)।

13. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

14. प्रभाग/जिला प्रोफाइल

: देहरादून

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र

3088.00 हे०

(2) जिला का वन क्षेत्र

2144.5 हे०

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से

585

(4) वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र

2144.55 हे०

(5) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण : 6678.92

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि : 4866.0462

(ख) वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : 768.59 हे०

(अ) वन भूमि पर

:

(ब) वनेत्तर भूमि पर

:

15. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप : स्थानीय जनता की सुविधाओं एवं क्षेत्र के विकास को मद्देनजर रखते हुये वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान कालामो
 तारीख 29/7/2018

हस्ताक्षर (लेखक मर्म)
 नाम
 शासकीय मोहर

स्थानीय जनता/जनता
 जनता का जनता
 जनता (विद्यमान)

1
 जन-जनता जनता/जनता
 जनता का जनता
 जनता